

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी-श्री बलदेव सिंह हाडा

282/14

तारीख रजू- 15/10/14

5/1

नोरया जाति मीना निवासी डोब तहसील बजीरपुर।

बनाम

— अपीलार्थी

तहसीलदार, बजीरपुर।

— रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक- 08/06/15

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत बजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 126/14 में पारित आदेश दिनांक 04/03/14 के विरुद्ध किया है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम डोब की आराजी खसरा नम्बर 1183 रकवा 0.34 हेक्टायर भूमि पर संवत् 2070 रवि में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कल्ल करने का आदेश मूमे से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के साथ साथ आदेश सरकार किये जाने व अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास आदेश दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

आदेश प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेंट की ओर से पत्रावली उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभार ली।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व रूएदाद मिसल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य आदेश खसरा नम्बर 1183 रकवा 0.34 हेक्टायर भूमि पर अपीलार्थी का कभी कब्जा कल्ल नहीं रहा है। पटवारी हल्का ने बिना मोक़ा निरीक्षण किये हुए कयास मात्र के आधार पर अतिक्रमण की झूठी रिपोर्ट दी है व अपीलार्थी को बिना सुने अदालत मातहत ने अपीलार्थीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि हरिसिंह पुत्र मीना की खातेदारी की भूमि है जिसे गलत रूप से चरागाह में दर्ज कर दिया है जिसका पटवारी का दावा न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुरसिटी के यहां विचाराधीन है। अपीलार्थी ने उक्त भूमि को कल्ल करता है लेकिन पटवारी हल्का ने इन सब तथ्यों की जांच किये बिना अपीलार्थी के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिचार की रिपोर्ट अदालत मातहत में पेश करदी है व अदालत ने भी अपीलार्थी को सुने बिना पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार बनाकर अपीलार्थीन निर्णय पारित कर दिया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी की जाकर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय परोकार ने बहस में तर्क दिया कि अपीलार्थी ने अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय की अपील 01/10/14 को प्रस्तुत की है तथा विलम्ब से प्रस्तुत होने कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया है। अतः अपील अपीलार्थी मियाद बाहर होने के कारण निरस्त होने योग्य है। विद्वान राजकीय परोकार ने बहस में यह भी तर्क दिया कि आदेश जेरे कराने से पूर्व सुनवाई सबूत का अवसर दिया है तथा पश्चातवर्ती अतिचार के क्रम में

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

282/14

5/2

जांच करने के उपरान्त ही आदेश पारित किया है जिसमे कोई अनियमितता नहीं है। अतः अपीलार्थी खारिज की जावें।

चिट्ठान वकील अपीलार्थी व पेरोकार राज की बहस सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा अपील में कथन व अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व अपीलार्थी अतिक्रमी को अतिक्रम रूप से सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई तिथि 04/03/14 का पश्चातवर्ती अतिचार पारित जारी किया गया है ऐसी अवस्था में अपीलार्थी का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि सुनवाई सबूत का अवसर नहीं दिया गया है। जहां तक अपीलार्थी को अतिक्रमित आराजी पर अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किये जाने का प्रश्न है तो अतिक्रमी के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को पूर्ववर्ती अतिचार के क्रम में मोकें से अतिक्रम रूप से कब बेदखल किया गया बेदखली रिपोर्ट की प्रति पत्रावली में शामिल नहीं है। पूर्ववर्ती अतिचार के क्रम में सिविल कारावास की सजा करने से पूर्व अपीलार्थी को अतिक्रमित आराजी से पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल करने की भौतिक बेदखली की रिपोर्ट पत्रावली होना आवश्यक है जिससे पश्चातवर्ती अतिचार की पुष्टि हो सके। इस प्रकरण में पटवारी हल्का की अतिक्रम अतिचार की रिपोर्ट व बयान के अलावा पूर्व बेदखली की रिपोर्ट का अभाव पाया जाता है जिस कारण अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचार की जांच करवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें बेदखली श्रास्ति व फसल का नौलामी का आदेश तो यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास की सजा को निरस्त करके तहसीलदार, बजीरपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी के अतिक्रमित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिचार की जांच कर पूर्व बेदखली रिपोर्ट को पत्रावली में शामिल करवाया जावे। नवीन सिरे से अपीलार्थी के विरुद्ध नियमानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 08/06/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलदेव सिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर